"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# (असाधारण)

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 जून 2019 - ज्येष्ठ 22, शक 1941

### उच्च विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2019

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-6/2017/38-2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 836/पी.यू.-08/एस.एण्ड.ओ./2017/9158, दिनांक 27/11/2018 द्वारा आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम-नवापारा (कोसमी), ब्लॉक एवं तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद के संशोधित परिनियम एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 54 से 58 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहतु किया गया है.

- 2. राज्य शासन, एतद् द्वारा, उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
- 3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, सचिव.

Ф.	aident /anaim	<b>—</b>		
Ψ.	संख्या / सारांश	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संसोधन	संसोधन
	-00			का कारण
1	परिनियम क. 12 में संसोधन	12.1 कला मानविकी एवं समाज विज्ञान विषय या समूह विभाग / विषय र	कला मानविकी एवं समाज विज्ञान विषय या समूह विभाग / विषय  1. अंग्रेजी  2. हिन्दी  3. मराठी  4. तुलनात्मक धर्म और दर्शनशास्त्र  5. इतिहास और पुरातत्व  6. राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन  7. अर्थशास्त्र  8. समाजशास्त्र  9. संस्कृत  10. भूगोल  11. मनोविज्ञान  12. रक्षा अध्ययन  13. गृह विज्ञान  14. छत्तीसगढ़ी भाषा  15. शिक्षा  16. पत्रकारिता एवं जनसंचार	नये विषय जोड़ा जाना है।
2	परिनियम 12 में संशोधन	12 ६वाणिज्य / व्यवसाय प्रशासन / प्रबंधन / वित्तविषय का विषय समूह 1. वाणिज्य 2. व्यवसाय प्रबंध 3. व्यवसायिक अर्थशास्त्र 4 बैंकिंग और बीमा	दो अतिरिक्त विषय जोड़ा जाना है।  12 6 वाणिज्य / व्यवसाय प्रशासन / प्रबंधन / वित्तविषय का विषय समूह  1. वाणिज्य 2. व्यवसाय प्रबंध 3. व्यवसाय प्रबंध 4. बैंकिंग और बीमा 5. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक अतिरिक्त विषय जोड़ा जाना है।	नये विषय जोड़ा जाना है।

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		4	<del></del> -
क.	संख्या / सारांश	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संसोधन	संसोधन
				का कारण
1	परिनियम क. 12 में संसोधन	12.1 कला मानविकी एवं समाज विज्ञान विषय या समूह विभाग / विषय ~ 1. अंग्रेजी 2. हिन्दी 3. मराठी 4. तुलनात्मक धर्म और दर्शनशास्त्र 5. इतिहास और पुरातत्व 6. राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन 7. अर्थशास्त्र 8. समाजशास्त्र 9. संस्कृत 10. भूगोल 11. मनोविज्ञान 12. रक्षा अध्ययन 13. गृह विज्ञान 14. छत्तीसगढ़ी भाषा	कला मानविकी एवं समाज विज्ञान विषय या समूह विभाग / विषय  1. अंग्रेजी 2. हिन्दी 3. मराठी 4. तुलनात्मक धर्म और दर्शनशास्त्र 5. इतिहास और पुरातत्व 6. राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन 7. अर्थशास्त्र 8. समाजशास्त्र 9. संस्कृत 10. भूगोल 11. मनोविज्ञान 12. रक्षा अध्ययन 13. गृह विज्ञान 14. छत्तीसगढी भाषा 15. शिक्षा 16. पत्रकारिता एवं जनसंचार दो अतिरिक्त विषय जोड़ा जाना है।	

1	परिनियम 12 में संशोधन	12 6 वाणिज्य / व्यवसाय प्रशासन / प्रबंधन / वित्त विषय का विषय समूह		12 6 वाणिज्य / व्यवसाय नये विषय प्रशासन / प्रबंधन / वित्त जोड़ा विषय का विषय समूह जाना है।
,		4. वाणिज्य 5. व्यवसाय प्रबंध 6. व्यवसायिक अर्थशास्त्र 4 बैंकिंग और बीमा	•	<ol> <li>वाणिज्य</li> <li>व्यवसाय प्रबंध</li> <li>व्यवसायिक अर्थशास्त्र</li> <li>बैंकिंग और बीमा</li> <li>हॉस्पिटल एडिमिनिस्ट्रेशन एक अतिरिक्त विषय जोड़ा जाना है।</li> </ol>

# आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय का अनुगामी अध्यादेश

कं.	संख्या / सारांश	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संसोधन	संसोधन का कारण
1	नया अध्यादेश — 54	कोई प्रावधान नहीं	मास्टर ऑफ ला एलएलएम.	नया पाठ्यकम जोड़ा जाना है।
2	नया अध्यादेश — 55	कोई प्रावधान नहीं	बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बी.टेक.	नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है।
3	नया अध्यादेश — 56	कोई प्रावधान नहीं	डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग डीई	नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है।
4	नया अध्यादेश — 57	कोई प्रावधान नहीं	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा / डिप्लोमा अण्डर व्यवसाय प्रबंधन संकाय	नया पाठ्यकम जोड़ा जाना है।
5	नया अध्यादेश — 58	कोई प्रावधान नहीं	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा / डिप्लोमा अण्डर विज्ञान संकाय	नया पाठ्यकम जोड़ा जाना है।

अध्यादेश- 54

मास्टर ऑफ ला एलएलएम.

54.1 भूमिकाः

यह अध्यादेश आईएसबीएम विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ ला के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम एलएलएम. होगा।

54.2 शीर्षक :

मास्टर ऑफ ला एलएलएम.

54.3 संकाय :

विधि

54.4 अवधि :

दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)

54.5 पात्रता :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक।

54.6 सीटें :

बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पश्चात्, प्रबंध मण्डल

द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

54.7 प्रवेश प्रकिया :

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 1 और बीसीआई के अनुसार प्रवेश मेरिट / प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा, छत्तीसगढ़ राज्य शासन की आरक्षण नीति का पालन किया

जायेगा।

54.8 शैक्षणिक वर्ष :

सामान्यतः जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक सत्र होगा

चयन प्रकिया : 54.9

विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाईड तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अन्तिम प्रवेश रदद कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता

1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।

2. देय तिथि पर फींस का भुगतान नहीं किया गया है।

3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

54.10 शुल्क :

प्रबंध मण्डल द्वारा त्तय की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा समय—समय पर यथा विनिश्चित।

54.11 परीक्षा योजना : 54.12 पाठ्यकम संरचना : विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार । अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादिमक परिषद् द्वारा अनुमोदित।

54.13 सामान्य :

शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर एव अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात कुलपित, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में मामलो का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

### अध्यादेश— 55

### बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बी.टेक.

55.1 भूमिकाः

यह अध्यादेश आईएसबीएम विश्वविद्यालय केबैचलर ऑफ टेक्नोलॉजीके अध्यादेश के रूप जाना जाएगा इजिनीयरिंग/ टेक्नोलॉजी / आर्किटेक्चेंंगर / डिजाईन

बैंचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बी.टेक. 55.2 शीर्षकः

अभियांत्रिकीय / प्रौद्योगिकीय / वास्तुशिल्प / डिजाईन

चार वर्ष (या आठ सेमेस्टर) 55.4 अवधिः

1. बायोटेक्नालॉजी को छोड़कर शेष सभी बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र एवं गणित) विषय के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण ।

2. बी.टेक बायोटेक्नालॉजी आवेदक को छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान) विषय के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण ।

 पार्श्व प्रवेश – राज्य शासन के तकनिकी शिक्षा बोर्ड द्वारा तीन वर्षीय इंजिनियरिंग डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बी.टेक. के द्वितीय वर्ष या तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता

होगी।

बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इंकाई भी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पश्चात प्रबंध मण्डल

द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

उपरोक्त धारा 55.5 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा तैयार प्रीइंजीनियरिंग टेस्ट पश्चात् की गई मेरिट लीस्ट में शामिल उम्मीद्वारों के लिए स्थान सुरक्षित होगा या विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा या अन्य किंसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य निकाय/द्वारा आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा तकनिकी शिक्षा निर्देशालय रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित प्रवेश प्रकिया या प्री

इंजियिरिंग टेस्ट के आधार पर ।

सामान्यतः जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक सत्र होगा।

विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाईड तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा

55.5 पात्रताः

**55.3** संकायः

सीटें: 55.6

प्रवेश प्रकियाः 55.7

शैक्षणिक वर्षः 55.8

चयन प्रकियाः 55.9

अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अन्तिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

- 1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।
- 2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
- 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- 4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

प्रबंध मण्डल द्वारा तय की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा समय—समय पर यथा विनिश्चित।

विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार । अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादिमक परिषद् द्वारा अनुमोदित।

शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर एव अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात कुलपित, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में मामलो का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

55.10 शुल्क

55.11 परीक्षा योजनाः 55.12 पाठ्यकम संरचनाः

55.13 सामान्यः

# अध्यादेश- 56

## डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग डीई

56.1 भूमिका :

यह अध्यादेश आईएसबीएम विश्वविद्यालय के डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग के अध्यादेश के रूप जाना जाएगा इजिनीयरिंग / टेक्नोलॉन्जी / आर्किटेक्चर / डिजाईन ।

डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग डीई शीर्षक : 56.2

अभियांत्रिकीय / प्रौद्योगिकीय / वास्तुशिल्प / डिजाईन संकाय : 56.3

तीन वर्ष (या छह सेमेस्टर) अवधि : 56.4

56.5 पात्रता :

 डिप्लोमा इंजिनियरिंग के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा 10 वीं अथवा किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी विश्वविद्यालय की समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

2. गैर भारतीय उम्मीद्वार भी शासन के निर्देशों के अनुसार इंजिनियरिंग में डिप्लोमा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बसर्ते वे उपर्युक्त खण्ड एक के मापदण्डो को पूर्ण करता हो।

बुनियादी इकाई प्रत्येक 60 सीटों की होगी। प्रवेश प्रकिया :

जैसा कि ऊपर लिखित कंडिका 56.5 में है प्रवेश छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्री–पालीटेक्निक टेस्ट पीपीटी /मेरिट / प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियम का पालन किया

शैक्षणिक वर्ष : 56.8

सीटें :

56.6

56.7

सामान्यतः जनवरी से दिसंबर तक एक शैक्षणिक सत्र होगा। विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर. विश्वविद्यालय के वेबसाईड तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश

अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे

सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अन्तिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।

56.9 चयन प्रक्रिया : 2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।

3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।

सभी आवश्यक दस्तावेज्यों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन

क्रमांक दिया जायेगा।

56.10 शुल्क :

प्रबंध मण्डल द्वारा तय की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा समय—समय

पर यथा विनिश्चित।

56.11 परीक्षा योजना :

विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।

56.12 पाठ्यकम संरचना :

अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादिमक परिषद् द्वारा

अनुमोदित।

56.13 सामान्य :

शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर एव अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में मामलो का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

### अध्यादेश— 57

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा / डिप्लोमा अंडर, व्यवसाय प्रबंधन संकाय

57.1 भूमिका: यह अध्यादेश आईएसबीएम विश्वविद्यालय के डिप्लोमा

अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमों / डिप्लोमा अंडर व्यवसाय प्रबंधन

संकाय होगा।

57.2 शीर्षक: पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा / डिप्लोमा अंडर व्यवसाय प्रबंधन

संकाय।

58.3 संकाय: व्यवसाय प्रशासन / वाणिज्य / प्रबंध / वित्त

57.4 अवधि: एक वर्ष (या दो सेमेस्टर)

57.5 पात्रता: छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी

मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त बोर्ड से

किसी भी संकाय में 10+2 उत्तीर्ण।

57.6 सीटें: बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक

इकाई भी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पश्चात प्रबंध मण्डल

द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

57.7 प्रवेश प्रकिया: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र.1 के अनुसार। प्रवेश

मेरिट / प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा, छत्तीसगढ़

राज्य शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

57.8 शैक्षणिक वर्ष: सामान्यतः जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक सत्र होगा। 57.9 चयन प्रकिया: विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के गाउंग के गर्न

विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैंक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के

वेबसाईड तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी

करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया

जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।

2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।

3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया

गया हो।

4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

प्रबंध मण्डल द्वारा तय की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा समय-समय पर

यथा विनिश्चित।

विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार ।

अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित।

शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर एव अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतुँ सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में मामलो का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

57.10 शुल्क :

57.11 परीक्षा योजना : 57.12 पाठ्यकम संरचना :

57.13 सामान्य :

### अध्यादेश— 58

# पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा /डिप्लोमा अंडर विज्ञान संकाय

58.1 भूमिका : यह अध्यादेश आईएसबीएम विश्वविद्यालय के डिप्लोमा अध्यादेश

के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम पोस्ट ग्रेजुएट

डिप्लोमा/ डिप्लोमा अंडर विज्ञान संकाय

58.2 शीर्षक: पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा /डिप्लोमा अंडर विज्ञान संकाय

58.3 संकाय: विज्ञान

58.4 अवधि: एक वर्ष (या दो सेमेस्टर)

58.5 पात्रता: छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी

मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त बोर्ड

किसी भी संकाय में 10+2 उत्तीर्ण।

58.6 सीटें: बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक

इकाई भी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमित पश्चात प्रबंध मण्डल

द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

58.7 प्रवेश प्रकिया : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 1 के अनुसार । प्रवेश

मेरिट / प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा, छत्तीसगढ़

राज्य शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा ।

58.8 शैक्षणिक वर्ष: सामान्यतः जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक सत्र होगा

**58.9 चयन प्रकिया :** विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार

पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाईड तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी

करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया

जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

- 1. आवेदन पत्र अपूर्ण है 1
- 2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
- 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- 4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

58.10 शुल्क :

प्रबंध मण्डल द्वारा तय की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा समय—समय पर यथा विनिश्चित।

58.11 परीक्षा योजना : 58.12 पाठ्यकम संरचना : विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार । अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादिमक परिषद् द्वारा अनुमोदित।

58.13 सामान्य :

शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर एव अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात कुलपित, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में मामलो का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

#### Atal Nagar, the 31st May 2019

#### **NOTIFICATION**

No. F 3-6/2017/38-2. — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 836/PU-08/S & O/2017/9158, Dated 27-11-2018 has approved the amendments in the Statutes and Subsequent Ordinances No. 54 to 58 of ISBM University, Village-Nawapara (Kosmi), Block & Tehsil-Chhura, District-Gariyaband Under Section 29(2) of Chhattisharh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

- 2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Statutes and Ordinances in Official Gazette.
- 3. The above Statutes and Ordinances shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, SURENDRA KUMAR JAISWAL, Secretary.

# PROPOSED AMENDMENTS IN THE STATUTES

S.	Number/Matt	<b>Existing Provision</b>	Proposed Amendment	Reason for
No.	er			Change
1	Amendment	12.1. Arts/Humanities/Social	12.1.	To introduce
	in Statute no.	Science	Arts/Humanities/Social	new subjects.
	12	Subject or group of	Science	new subjects.
	*	Departments/Subjects	Subject or group of	
		1. English	Departments/Subjects	
		2. Hindi	1. English	
		3. Marathi	2. Hindi	
		4. Comparative Religion &	3. Marathi	
		Philosophy	4. Comparative Religion &	
		5. History and Archaeology	Philosophy	
		6. Political Science and Public	5. History and Archaeology	
		Administration	6. Political Science and	
	2	7. Economics	Public Administration	
		8. Sociology	7. Economics	
		9. Sanskrit	8. Sociology	3
		10. Geography	9. Sanskrit	
	,	11. Psychology	10. Geography	
		12. Defence Studies	11. Psychology	
		13. Home Science	12. Defence Studies	
		14. Chhattisgarhi	13. Home Science	×
	e		14. Chhattisgarhi	
			*15. Education	
			16. Journalism and Mass	
			Communication.	
			Two more subjects are being	
			added.	
2	Amendment	12.6. Faculty of Commerce	12.6. Faculty of Commerce	To introduce
	in Statute no.	/Business	/Business	new subjects.
	12	Administration/Commerce /	Administration/Commerce	now subjects.
		Management/Finance	/ Management/Finance	
		Subject or group of	Subject or group of	
		Departments/Subjects	Departments/Subjects	
		1. Commerce	1. Commerce	
		2. Business Management	2. Business Management	
		3. Business Economics	3. Business Economics	
		4. Banking and Insurance	4. Banking and Insurance	
			*5. Hospital	
			Administration.	
	*		One more subject is being	
			added.	

S. No.	Number/Matter	Existing Provision	Proposed Amendment
1	Amendment in	12.1. Arts/Humanities/Social	12.1. Arts/Humanities/Social
	Statute no. 12	Science ~	Science
		Subject or group of	Subject or group of
8		Departments/Subjects	Departments/Subjects
		1. English	1. English
		2. Hindi	2. Hindi
	s	3. Marathi	3. Marathi
		4. Comparative Religion &	4. Comparative Religion &
		Philosophy	Philosophy
		5. History and Archaeology	5. History and Archaeology
		6. Political Science and Public	6. Political Science and Public
		Administration	Administration
		7. Economics	7. Economics
		8. Sociology	8. Sociology
		9. Sanskrit	9. Sanskrit
		10. Geography	10. Geography
		11. Psychology	11. Psychology
		12. Defence Studies	12. Defence Studies
	i,	13. Home Science	13. Home Science
	9	14. Chhattisgarhi	14. Chhattisgarhi
			*15. Education
			16. Journalism and Mass
		1	Communication.
			Two more subjects are being added.

S. No.	Number/Matter	Existing Provision	Proposed Amendment
2	Amendment in Statute no. 12	12.6. Faculty of Commerce /Business Administration/Commerce / Management/Finance Subject or group of Departments/Subjects 1. Commerce 2. Business Management 3. Business Economics 4. Banking and Insurance	12.6. Faculty of Commerce /Business Administration/Commerce / Management/Finance Subject or group of Departments/Subjects 1. Commerce 2. Business Management 3. Business Economics 4. Banking and Insurance *5. Hospital Administration. One more subject is being added.

10

# SUBSEQUENT ORDINANCES

S. No.	Number/Matter	Existing Provision	Proposed Amendment	Reason for	Char	ıge
1	New Ordinance - 54	No Provision	Master of Law (LL.M.)	New course	to	be
2	New Ordinance - 55	No Provision	Bachelor of Technology (B. Tech.)	New course added	to	be
3	New Ordinance - 56	No Provision	Diploma in Engineering (DE)	New course	to	be
4	New Ordinance - 57	No Provision	PG Diploma/Diploma under Commerce and Management Faculty	New course	to	be
5	New Ordinance - 58	No Provision	PG Diploma/Diploma under Science Faculty	New course	to	be

#### ORDINANCE - 54

### Master of Law (LL.M.)

54.1	Introduction	:	This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance for Master of Law abbreviated as LL.M.
54.2	Title	:	Master of Law (LL.M.)
54.3	Faculty	:	Law
54.4	Duration	:	Two years (or four semesters)
54.5	Eligibility	:	Graduation in Law from a recognized University.
54.6	Seats	· :	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management after permission of appropriate body.
54.7	Admission Proced	uro ·	Annual (C. 1) O. 11

54.7 Admission Procedure:

As specified in Ordinance 1 and BCI guidelines. Admission shall be granted on the basis of Merit / Entrance examination. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to.

54.8 Academic Year

The academic session shall normally be from July to June every year.

54.9 Selection Procedure

The University shall issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the University's selected candidates' list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to following reasons:

- 1. The application form is incomplete in anyway.
- 2. The fees is not paid by the due date
- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the

necessary documents & fees.

54.10 **Fees** 

The Course fees shall be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to

time.

54.11 Examination Scheme:

As per the University Examination Ordinance 2, unless

provided otherwise.

54.12 Course Structure

The Course Structure shall be framed by the respective

Board of Studies and approved by the Academic Council.

54.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary

amendments in the Ordinance.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the

jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

### ORDINANCE – 55

#### Bachelor of Technology (B. Tech.)

55.1 Introduction : This Ordinance shall be known as ISBM University

Ordinance for Bachelor of Technology in all streams that come under Engineering / Technology / Architecture /

Design

55.2 **Title** : Bachelor of Technology (B. Tech.)

55.3 Faculty : Engineering / Technology / Architecture / Design

55.4 **Duration** : Four years (or eight semesters)

55.5 Eligibility : 1. All B. Tech programmes, except Biotechnology - Must have passed 10+2 / Higher Secondary of Chhattisgarh

Board of Secondary Education or from any recognised Board of Secondary Education as equivalent thereto with Physics, Chemistry and Mathematics as compulsory

subjects.

2. For B. Tech. (Biotechnology) - Must have passed 10+2 / Higher Secondary of Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any recognised Board of Secondary Education as equivalent thereto with Physics, Chemistry

and Biology as compulsory subjects.

3. <u>Lateral Entry:</u> Lateral Entry to B. Tech. II Year or third semester will be given to students who have passed 3 years Diploma in Engineering granted by the Board of Technical

Education of a State Government.

55.6 Seats : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can

also be set up by the Board of Management after

permission of appropriate body.

55.7 Admission Procedure: The eligible candidates as specified in clause 55.5 above

should secure a place in the merit list of pre Engineering test (PET) conducted by C.G. VYAPAM or any other National / Other State bodies recognized for conducting entrance test or the University shall conduct such examination as per the guidelines of the Regulatory

Authority for admission in degree course or on the basis of

admission procedure conducted by Directorate of Technical Education, Raipur (C.G.).

55.8 Academic Year

The academic session shall normally be from July to June every year.

55.9 Selection Procedure:

The University shall issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the University's selected candidates' list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to following reasons:

- 1. The application form is incomplete in anyway.
- 2. The fees is not paid by the due date
- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form. Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents & fees.

55.10 Fees

The Course fees shall be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

55.11 Examination Scheme:

As per the University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

55.12 Course Structure

The Course Structure shall be framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council.

55.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary amendments in the Ordinance.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

#### **ORDINANCE - 56**

### Diploma in Engineering (DE)

56.1	Introduction Faculty	;	This Ordinance *shall be known as ISBM University Ordinance for Diploma in Engineering abbreviated as DE in all streams that come under Engineering / Technology / Architecture / Design.  Engineering / Technology / Architecture / Design
56.4	Duration	:	Three years
56.5	Eligibility	:	1. The minimum qualification for admission to the first year of Diploma in Engineering shall be the passing of Secondary School Certificate Examination (10 <sup>th</sup> ) Scheme conducted by C.G. Board of Secondary Education or any equivalent examination from a recognized Board or University.
			2. Non Resident Indian candidates shall also be eligible for admission to Diploma in Engineering as per the directives of the Government provided they satisfy the criteria of clause 1 above.
56.6	Seats	:	The basic unit will be of 60 seats in each specialization.
56.7	Admission Procedure	:	The eligible candidates as specified in clause 56.5 above should secure a place in the merit list of Pre Polytechnic test conducted by C.G. VYAPAM, Raipur or any other National / Other State bodies recognized for conducting entrance test or the entrance test conducted by the University for admission to Diploma course or on the basis of admission procedure conducted by Directorate of Technical Education, Raipur (C.G.).
56.8	Academic Year	:	There will be one academic cycle from July to June.
56.9	Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission

will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the University's selected candidates' list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or

Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to following reasons:

- 1. The application form is incomplete in anyway.
- 2. The fees is not paid by the due date
- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form. Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents & fees.

56.10 Fees

The Course fees shall be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

56.11 Examination Scheme

:

•

As per the Examination Ordinance 2.

56.12 Course Structure

The Course Structure shall be framed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

56.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary amendments in the Ordinance.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

## ORDINANCE - 57

# PG Diploma /Diploma under Commerce and Management Faculty

57.1	Introduction	:	This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance for PG Diploma / Diploma under Commerce and Management Faculty.
57.2	Title	:	PG Diploma / Diploma under Comm. and Manag.Faculty.
57.3	Faculty	•	Business Management/Commerce/Administration/Finance
57.4	Duration	•	One Year (or two semesters)
57.5	Eligibility	:	Must have passed 10+2 / Higher Secondary Examination from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any recognized Board of Secondary Education as equivalent thereto in any discipline.
57.6	Seats	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management after permission of appropriate body.
57.7	Admission Procedure	e:	As specified in Ordinance 1. Admission shall be granted on the basis of Merit / Entrance examination. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to.
57.8	Academic Year	:	The academic session shall normally be from July to June every year.
57.9	Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the University's selected candidates' list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to following reasons:  1. The application form is incomplete in anyway.

- 2. The fees is not paid by the due date
- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form. Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents & fees.

57.10 Fees

The Course fees shall be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

57.11 Examination Scheme:

As per the University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

57.12 Course Structure

The Course Structure shall be as framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council.

57.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary amendments in the Ordinance.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

# ORDINANCE - 58

# P.G Diploma/Diploma under Science Faculty

58.1	Introduction	:	This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance for PG Diploma / Diploma under Science Faculty.
58.2	Title	:	PG Diploma /Diploma under Science Faculty
583	Faculty	:	Science
58.4	Duration	:	One Year (or two semesters)
58.5	Eligibility	:	Must have passed 10+2 / Higher Secondary Examination from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any recognized Board of Secondary Education as equivalent thereto in any discipline.
58.6	Seats	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management after permission of appropriate body.
58.7	Admission Procedure	e :	As specified in Ordinance 1. Admission shall be granted on the basis of Merit / Entrance examination. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to.
58.8	Academic Year	:	The academic session shall normally be from July to June every year.
58.9	Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the University's selected candidates' list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to following reasons:
			1. The application for it is the state of th

1. The application form is incomplete in anyway.

2. The fees is not paid by the due date

- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form. Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents & fees.

58.10 Fees

The Course fees shall be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

58.11 Examination Scheme:

:

As per the University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

58.12 Course Structure

The Course Structure shall be as framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council.

58.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary amendments in the Ordinance.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.